REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042022-235309 CG-DL-E-22042022-235309

> असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] No. 110]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/वैशाख 2, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VISAKHA 2, 1944

## उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) अधिसचना नई दिल्ली. 22 अप्रैल. 2022

फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.--केंद्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और पेटोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन, विशेष रूप से, अधिशेष वाले मौसम में इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 3523 (अ) द्वारा एक स्कीम अर्थात् – 'इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसचित की थी, जिसे तत्पश्चात दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021 और 05.04.2022 की अधिसूचना सं. क्रमश: का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ. 4104 (अ), का.आ 1262 (अ), का.आ. 1523 (अ), का.आ. 3886 (अ), का.आ. 2026 (अ) और सं. 1(10)/2018-एसपी-I द्वारा संशोधित किया गया था। इसके बाद "इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों और शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम" दिनांक 08.03.2019 को का.आ.1227 (अ) और का.आ. 1228 (अ) द्वारा अधिसूचित की गई थी। इसके अलावा दिनांक 15.09.2020 को अधिसूचना सं. का.आ. 3135 (अ) और का. आ. 3136 (अ) के द्वारा 30 दिनों के लिए एक विंडो खोली गई थी, जिसमें शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टीलरियों और चीनी मिलों से इस स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 14.01.2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 148 (अ) के माध्यम से संशोधित स्कीम अर्थात "अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और सोरघम), गन्ना, चुकंदर आदि जैसे फीड स्टॉक से फर्स्ट जनरेशन (1जी) इथेनॉल उत्पादन के लिए अपनी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने अथवा डिस्टिलरियों की स्थापना करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी स्कीम" अधिसूचित की है।

अब केंद्रीय सरकार ने दिनांक 14.01.2021 की संशोधित स्कीम के तहत उन परियोजना प्रस्तावकों जिन्होंने फीड स्टॉक जैसे अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का तथा सोरघम), गन्ना (चीनी, चीनी सीरप, गन्ने के रस, बी-हैवी शीरा, सी-हैवी शीरा सहित) चुकंदर आदि से फर्स्ट जेनेरेशन (1जी) के उत्पादन हेतु अपनी मौजूदा इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता में वृद्धि या नई डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए इथेनॉल परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, से नए आवेदन आमंत्रित करने हेतु **इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छः माह तक** के लिए एक विंडो खोलने का निर्णय लिया है।

(1) पात्रता

इस स्कीम के तहत उद्यमियों के लिए सहायता उपलब्ध होगी:

(i) इथेनॉल उत्पादन के लिए अनाज आधारित डिस्टिलरियों की स्थापना/अनाज आधारित मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करना। तथापि, ब्याज छूट स्कीम का लाभ केवल उन डिस्टिलरियों को दिया जाएगा जो ड्राईड डिस्टिलर्स ग्रेन्स सोल्यूबल (डीडीजीएस) के उत्पादन के लिए ड्राई मिलिंग प्रक्रिया का उपयोग कर रही हैं अथवा करेंगी।

(ii) इथेनॉल उत्पादन के लिए शीरा आधारित नई डिस्टिलरियां स्थापित करना/मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार (चाहे वे चीनी मिलों से जुड़ी हों अथवा स्टैंडअलोन डिस्टिलरियां हो) और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी पद्धति की स्थापना करना।

(iv) शीरा आधारित मौजूदा डिस्टिलरियों (चाहे वे चीनी मिलों से जुड़ी हों अथवा स्टैंडअलोन डिस्टिलरियां हों) को दोहरी फीड (1-जी इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए शीरा और अनाज अथवा कोई अन्य फीड स्टॉक); और अनाज आधारित डिस्टिलरियों को दोहरी फीड डिस्टिलरियों में परिवर्तित करना।

(v) चुकंदर, सोरघम अनाज आदि जैसे अन्य फीड स्टॉक से 1-जी इथेनॉल का उत्पादन करने वाली, नई डिस्टिलरियां स्थापित करना/मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करना।

(vi) मौजूदा डिस्टिलरियों में रेक्टिफाइड स्प्रिट को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए मालिक्युलर सीव डिहाइड्रेशन कालम की संस्थापना।

# (2) स्कीम के अधीन सहायता

(i) बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) /भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड (आईआरईडीए)/ नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) /कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, द्वारा दिए गए ऋण पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अथवा बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड/नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर ब्याज दर के 50 प्रतिशत की ब्याज छूट, जो भी कम हो, केंद्रीय सरकार द्वारा परियोजना प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण के प्रति एक वर्ष की स्थगन अवधि शामिल करते हुए पांच वर्षों के लिए वहन की जाएगी।

(ii) इस स्कीम के तहत ब्याज छूट प्रस्तावित क्षमता पर आधारित प्रत्येक परियोजना के संबंध में अनुमोदित और संवितरित ऋण की राशि पर प्रदान की जाएगी, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिये गए सैद्धांतिक अनुमोदन तक सीमित होगी। (iii) ब्याज छूट केवल उन्हीं डिस्टिलरियों के लिए उपलब्ध होगी जो बढाई गई डिस्टेलेशन क्षमता से उत्पादित कम से कम 75% इथेनॉल की आपूर्ति पेट्रोल के साथ ब्लैंडिंग के लिए तेल विपणन कंपनियाँ को करेंगे।

(iv) यह सहायता उन चीनी मिलों और डिस्टिलरियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने उसी परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की किसी दूसरी स्कीम के तहत लाभ उठाया हो।

 (v) अनाज आधारित डिस्टिलरियों के मामले में ब्याज छूट तभी लागू होगी जब वे डीडीजीएस के उत्पादन के लिए ड्राई मिलिंग तकनीक का प्रयोग कर रही हैं अथवा प्रयोग करेंगी।

## (3) आवेदन प्रस्तुत करना

इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, चीनी मिलों/डिस्टिलरियों/उद्यमियों जिन्होंने अपनी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, उन्हें आवेदन-सह-प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में डीएफपीडी पोर्टल (<u>https://sugarethanol.nic.in/)</u> पर केवल ऑनलाईन माध्यम द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छः माह की अवधि तक निदेशक (शर्करा और वनस्पति तेल), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भेजने अपेक्षित होंगे।

## (4) आवेदन का मूल्यांकन/अनुमोदन

इस स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों की खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में संवीक्षा की जाएगी और जैसे आवश्यक है, उन मानकों को ध्यान में रखते हुए पात्र आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जाएगा। ऐसी चीनी मिलें जिनके पास सरकार का बकाया है जैसे कि एसडीएफ बकाया, उन्हें सैद्धांतिक अनुमोदन सरकारी बकायों का भुगतान होने के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा।

## (5) स्कीम की रूपरेखा

(i) आवेदन-सह-प्रस्ताव की जांच करने के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन देगा और ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव उधार देने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थानों को ऋण स्वीकृत करने के संबंध में विचार करने हेतु संस्तुत करेगा। बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, अपने वाणिज्यिक मानदण्डों/नीतियों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पुनर्संरचना से संबंधित दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ऋण संस्वीकृत करने/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ii) आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।

(iii) आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना चाहिए और प्रत्येक माह डीएफपीडी पोर्टल (http://sugarethanol.nic.in/) पर प्रगति का अद्यतन करना चाहिए, ऐसा न करने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(iv) चीनी मिलें/डिस्टिलरियां संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते समय इथेनॉल उत्पादन में क्षमता संवर्धन/उन्नयन के लिए सरकार की मेक-इन-इंडिया स्कीम के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास करेंगी।

 (v) स्कीम के अधीन ऋण का संवितरण अलग खाते में किया जाएगा ताकि उक्त प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग आसानी से की जा सके। (vi) वित्तीय सेवाएं विभाग नोडल बैंक के रूप में नाबार्ड की नियुक्ति सहित इस स्कीम के प्रचालन के लिए बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, को उचित अनुदेश जारी करेगा।

## 6. ब्याज छूट के भुगतान की रूपरेखा

(i) स्कीम के अधीन ऋण राशि पर ब्याज छूट का भुगतान एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित 5 वर्षों तक सीमित होगा।

(ii) भारत सरकार द्वारा ब्याज छूट का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदन करने वाली चीनी मिल/ डिस्टिलरी का खाता मानक है और खाता एनपीए होने तक यह उपलब्ध नहीं होगा। चीनी मिल/डिस्टिलरी चूक की अवधि के लिए मूलधन के साथ दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, बैंकों को चूककर्ता ऋणग्राहियों के विरुद्ध बैंकिंग मानदंडों तथा लागू बैंकिंग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी।

(iii) उन परियोजना प्रस्तावकों जिन्होंने दिनांक 01.04.2021 के पश्चात संवितरित ऋण प्राप्त किया है, वे नई विंडो के तहत ब्याज छूट प्राप्त करने लिए भी पात्र होंगे, बशर्ते कि डिस्टिलरी नई विंडो खुलने के बाद शुरू हुई है; दिनांक 01.04.2021 के बाद संवितरित ऋण के लिए ब्याज छूट लागू होगी।

(iv) चीनी मिलों के पास अधिशेष नकद प्रवाह के मामले में बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, द्वारा शीघ्र भुगतान लेने का निर्णय लिया जा सकता है और ऋण खाते के प्रति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।

(v) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ब्याज छूट की राशि त्रैमासिक आधार पर अग्रिम तौर पर जारी करेगा। अग्रिम तौर पर भुगतान की गई ब्याज छूट पर अर्जित ब्याज का समायोजन आगामी त्रैमासिक किस्त में किया जाएगा।

(vi) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नाबार्ड से परामर्श करके ब्याज छूट के निर्गम की विधि तैयार करेगा।

# 7. परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र

संबंधित उद्यमी/चीनी मिल/डिस्टिलरी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि आवेदन प्रस्तुत करते समय इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित विधि के माध्यम से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त कर लिया गया है। नई डिस्टिलरियों की स्थापना करने अथवा मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करने के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें/डिस्टिलरियां राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी तथा चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें क्रमशः प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी ने उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है और इसकी स्थापना कर दी गई है अथवा मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार पूरा कर लिया गया है और इथेनॉल का संवर्धित उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

# 8. उपयोग प्रमाणपत्र

अनुमोदित ऋण राशि के लिए चीनी मिलें/डिस्टिलरियां/उद्यमी परियोजना पूर्ण होने के तीन माह के भीतर संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त, उत्पाद आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उक्त प्राधिकारी ऋण के उपयोग की मॉनीटरिंग भी करेंगे। उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा अथवा लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

# अनुबंध -1

फर्स्ट जनरेशन (1जी) इथेनॉल के उत्पादन के लिए अपनी इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने अथवा नई डिस्टिलरियों की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्तावकों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम हेतु आवेदन। क. परियोजना प्रस्तावकों का संक्षिप्त विवरण

1	क. संगठन का नाम	
	ख. संगठन का पूर्ण पता / प्रधान कार्यालय	
	ग. प्लांट का पूर्ण पता / प्रस्तावित स्थान	
	घ. पिन कोड	
	ड. राज्य	
	च. जिला	
	छ. ई-मेल	
	ज. मोबाइल नंबर	
	झ. वैकल्पिक मोबाइल नंबर	
2.	प्लांट कोड, यदि डिस्टिलरी चीनी कारखाना से संबद्ध हो	
3.	चीनी कारखाना/मौजूदा डिस्टिलरी में इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की तिथि (यदि लागू हो)	
4.	क. मौजूदा डिस्टीलरी की एल्कोहल उत्पादन क्षमता, यदि कोई हो (केएलपीडी में)	
	ख. मौजूदा डिस्टीलरी की इथेनॉल उत्पादन क्षमता, यदि कोई हो (केएलपीडी में)	
	ग. मौजूदा डिस्टीलरी के प्रचालन दिनों की संख्या प्रति वर्ष, यदि कोई हो	
5.	जीएसटी नं.	
6.	चीनी विकास निधि देयता की स्थिति, यदि कोई हो, (चीनी कारखाने के मामले में) <b>(जैसे</b>	
	नियमित/डिफॉल्ट/लागू नहीं)	

# ख. नई डिस्टीलरी की स्थापना/ मौजूदा डिस्टीलरी के विस्तार/मॉलिक्यूलर सीव डिहाइड्रेशन (एमएसडीएच) कॉलम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव से संबंधित जानकारी

1.	जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है (उस श्रेणी को निर्दिष्ट करें, जिसके अधीन आवेदन	
	प्रस्तुत किया गया है; अधिसूचना के पैरा 1 का संदर्भ लें)	
2.	प्रस्तावित नई डिस्टीलरी की क्षमता (केएलपीडी में)	
3.	मौजूदा डिस्टीलरी के विस्तार का विवरण (केएलपीडी सेकेएलपीडी तक)	
4.	प्रस्तावित फीडस्टॉक (शीरा/अनाज/दोहरी)	
5.	सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित जेडएलडी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी <b>{जैसे इनसिनरेशन</b>	
	बॉयलर/एटीएफ ड्रायर सिस्टम/बायो-कम्पोस्टिंग/अन्य (सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित	
	जेडएलडी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है)}	
6.	परियोजना के लिए अनुरोध की गई वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)	
7.	ऋण देने वाले बैंक/शाखा का नाम	
1		

8.	क्या चीनी मिलों के मामलों में उसी परियोजना के लिए एसडीएफ सहायता ली गई है?	हाँ / नहीं
9.	प्रस्तावित प्लांट के प्रचालन के दिनों की संख्या (ई.सी. के अनुसार)	
10.	नए प्लांट के पूरा होने/मौजूदा प्लांट के विस्तार/ मॉलिक्यूलर सीव डिहाइड्रेशन (एमएसडीएच) कॉलम स्थापित करने हेतु प्रस्तावित तारीख।	तारीख/माह/वर्ष
11.	इथेनॉल उत्पादन की शुरूआत की संभावित तारीख	तारीख/माह/वर्ष
12.	क्या प्रस्तावित नई डिस्टीलरी/ प्लांट और मौजूदा डिस्टीलरी के विस्तार के लिए मशीनरी स्वदेशी स्रोत से खरीदी गई है ?	हाँ / नहीं

ग. परियोजना का विवरण (सहायक दस्तावेज़ों के साथ अपलोड करना):

1.	परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का विवरण	
	(क): प्लॉट का आकार (एकड़ में)	
	(ख): प्लॉट का स्थान	देशांतर
		अक्षांश
2.	पर्यावरणीय मंजूरी प्रमाण-पत्र (अपलोड किया जाना है)	संख्या और दिनांक
3.	यदि ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो बैंक द्वारा स्वीकृत	रूपये(शब्दों में)
	की गयी धन राशि (करोड़ रुपए में)	
4.	यदि ऋण का संवितरण हो गया है, तो संवितरण की धन राशि	रूपये(शब्दों में) और
	(करोड़ रुपए में) और ऋण संवितरण की तिथि	तिथि
5.	क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के साथ द्विपक्षीय करार	करार संख्या. और दिनांक
	(बीपीए) हस्ताक्षरित हो गया है?	
	(क): बीपीए के तहत इथेनॉल उठान की मात्रा (केएलपीडी)	
	(ख): बीपीए के अनुसार इथेनॉल की आपूर्ति के आरंभ होने की	
	प्रस्तावित तिथि	
6	क्या संगठनों/ओएमसी/बैंक/वित्तीय संस्थानों के बीच टीपीए पर	
	हस्ताक्षर किए गए हैं (यदि हाँ, तो कृपया उसकी प्रति अपलोड	
	करें)	

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

#### (Department of Food and Public Distribution)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2022

**F. No.1(10)/2018-SP-I.**—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), S.O. 5219(E), S.O. 47 (E), S.O. 4104 (E), S.O.1262 (E), S.O. 1523 (E), S.O. 3886(E), S.O. 2026(E) and No. 1(10)/2018-SP-I dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021 and 05.04.2022 respectively. Thereafter schemes for extending financial

6

assistance to sugar mills & molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity were notified on 08.03.2019 vide notifications No. S.O. 1227(E) & S.O. 1228(E). Further vide notifications No. S.O. 3135(E) & S.O. 3136(E) dated 15.09.2020, a window was opened for 30 days for inviting applications under the scheme from molasses based stand alone distilleries and from sugar mills.

Further, the Central Government, notified a modified scheme namely- "Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc." vide notification No. S.O. 148(E) dated 14.01.2021.

Now, the Central Government has decided to open a window **for six months w.e.f. date of this Notification** under modified scheme dated 14.01.2021 for inviting fresh applications from those project proponents who have acquired land for ethanol project and obtained Environmental Clearance (EC) for enhancement of their existing ethanol distillation capacity or to set up new distillery for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane (including sugar, sugar syrup, sugarcane juice, B-heavy molasses), sugar beet etc.

#### (1) Eligibility –

Assistance under the scheme shall be available to the entrepreneurs for:

- i. Setting up grain based distilleries/expansion of existing grain based distilleries to produce ethanol. However, benefits of interest subvention scheme is to be extended to only those distilleries which are using or will be using dry milling technique to produce Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS).
- ii. Setting up new molasses based distilleries/expansion of existing distilleries (whether attached to sugar mills or standalone distilleries) to produce ethanol and for installing any method approved by Central Pollution Control Board for achieving Zero Liquid Discharge (ZLD).
- iii. To set up new dual feed distilleries or to expand existing capacities of dual feed distilleries.
- iv. To convert existing molasses based distilleries (whether attached to sugar mills or standalone distilleries) to dual feed (molasses and grain/ or any other feed stock producing 1G Ethanol); and also to convert grain based distilleries to dual feed.
- v. To set up new distilleries / expansion of existing distilleries to produce ethanol from other feed stocks producing 1G ethanol such as sugar beet, sorghum, cereals etc.
- vi. To install Molecular Sieve Dehydration (MSDH) column to convert rectified spirit to ethanol in the existing distilleries.

#### (2) Assistance under the Scheme:

(i) Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)/ Non-Banking Financial Companies (NBFCs)/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, whichever is lower, on the loans to be extended by banks/NCDC/IREDA/NBFCs/ any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, shall be borne by the Central Government for five years including one year moratorium against the loan availed by project proponents.

(ii) Interest subvention under the scheme shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity, limited to the in principle approval by DFPD.

(iii) Interest subvention would be available to only those distilleries which will supply at least 75% of ethanol produced from the added distillation capacity to Oil Marketing Companies (OMCs) for blending with petrol.

(iv) Assistance shall not be available to sugar mills and distilleries which have availed benefits under any other scheme of Central Government for the same project.

(v) In case of grain based distilleries, interest subvention would be applicable only if they are using or will be using dry milling technique to produce DDGS.

#### (3) Submission of application:

For availing assistance under the Scheme, the sugar mills/distilleries/entrepreneurs who have acquired land and obtained environmental clearance for their project would be required to submit an application cum-proposal in the prescribed Proforma (Annexure-I) to the Director (S&VO), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi during the period of six months starting from date of this Notification through online mode only on the DFPD portal (http://sugarethanol.nic.in/) to avail benefit under the scheme.

#### (4) Appraisal/Approval of applications:

The proposals received under the Scheme would be scrutinized in DFPD and in-principle approval would be accorded to the eligible applicants keeping in view the parameters as deemed necessary. In case of sugar mills having Government dues namely SDF dues, in-principle approval would be accorded only after clearance of Government dues.

#### (5) Modalities of the Scheme:

(i) After scrutinizing the applications cum proposals, DFPD will accord in principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks/financing institutions for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.

(ii) The applicant should get the loan disbursed from the bank/ NCDC /IREDA / NBFCs / any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, within one year from the date of in-principle approval of DFPD, failing which the in-principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within 2 years from the date of disbursement of 1st instalment of loan from bank/ NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD.

(iii) The applicant should adhere to the time line as specified by DFPD and update progress on the DFPD portal (https://sugarethanol.nic.in/) every month, failing which the in-principle approval for the project may be cancelled by DFPD.

(iv) While implementing their respective projects, the sugar mills/distilleries shall strive to seek convergence with the Make in India scheme of the Government for capacity addition/ up-gradation in ethanol production.

(v) The disbursement of loan under the scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.

(vi) The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD to operationalize the scheme including appointment of NABARD as a nodal bank.

#### (6) Modalities for payment of interest subvention

(i) Payment of interest subvention on loan amount under the scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period.

(ii) The benefit of interest subvention will be provided by Government of India only if the account of applicant sugar mill/distillery is Standard and will not be available as long as account is NPA. The sugar mill/distillery will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default along with the principal. Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines.

(iii) Those project proponents who have got the loan disbursed after 01.04.2021 would also be eligible to receive interest subvention under the new window, provided the distillery is commissioned after opening of the new window; and interest subvention would be applicable to the loan disbursed after 01.04.2021.

(iv) In the event of surplus cash flow with the sugar mills/distilleries, accelerated payments may be decided by the bank/NCDC/IREDA/NBFCs / any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

(v) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly instalment.

(vi) DFPD will work out the modalities of release of Interest Subvention in consultation with NABARD.

#### (7) Project Completion Certificate-

The concerned entrepreneur/sugar mill/distillery shall submit a certificate duly verified by the Central Pollution Control Board certifying that zero liquid discharge has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Sugar mills/distilleries/entrepreneurs availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit a certificate duly verified by the concerned State Government Authority and the Chartered Engineer certifying respectively that the new distillery has commenced production and has been installed or expansion of the existing distillery has been completed and enhanced production of ethanol has commenced. Any failure to submit such certificates shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government.

#### (8) Utilization Certificate:

The concerned sugar mills/distilleries/entrepreneurs shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount within three months of the completion of the project, duly verified by the respective Sugar/Cane Commissioners, Excise Commissioner or any other authority designated by the State Government certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The said authorities shall also monitor the utilization of the loan. Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(9) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme.

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Annexure-I

### A.1 APPLICATION FOR SCHEME FOR EXTENDING FINANCIAL ASSISTANCE TO PROJECT PROPONENTS FOR ENHANCEMENT OF THEIR ETHANOL PRODUCTION CAPACITY OR TO SET UP NEW DISTILLERIES FOR PRODUCING 1st GENERATION (1G) ETHANOL

	(a) Name of the Organization	
	(b) Complete address of the Organization/ Head Office	
	(c) Complete address of the Plant/ Proposed Location	
	(d) Pin Code	
	(e) State	
	(f) District	
	(g) E-mail	
	(h) Mobile No.	
	(i) Alternate Mobile No.	
2	Plant code in case Distillery is attached to Sugar Factory	
3	Date of commencement of ethanol production of the Sugar Factory/existing Distillery (ifapplicable)	
4	(a) Production capacity of alcohol of the existing Distillery, if any (in KLPD)	
	(b) Production capacity of ethanol of the existing Distillery, if any (in KLPD)	
	(c) Number of days of operation per annum of existing Distillery, if any	
5	GST No.	
6	Status of SDF dues, if any (in case of Sugar Factory) (like Regular/Default/Not applicable)	

#### A. Details of the Project Proponent

B. Information relating to proposal for setting-up of new Distillery/expansion of existing Distillery/installation of Molecular Sieve De-hydration (MSDH) column

1	Proposal submitted for (specify the category under which application is	
	submitted; refer Para 1 of the notification)	
2	Capacity of the proposed new Distillery (KLPD)	

3	Details of expansion of existing Distillery (fromKLPD toKLPD)	
4	Proposed Feedstock (Molasses/Grain/Dual)	
5	Technology for ZLD system approved by CPCB [like Incineration Boiler	
	/ATF Dryer System/ Bio-composting/Others (certifcate of the	
	technology for ZLD system approved by CPCB to be uploaded)]	
6	Financial assistance requested for the project (Rs. in crore)	
7	Name of the lending Bank/Branch	
8	Whether SDF assistance has been availed for same project in case of Sugar Mills?	Yes/No
9	No. of Days of operations of the Proposed plant (as per EC)	
10	Proposed date of completion of new plant/ expansion of exisiting plant / installation of MSDH column	DD/Month/Year
11	Expected date of commencement of ethanol production	DD/Month/Year
12	Whether proposed new Distillery / Plant and Machineries for expansion of the existing Distillery are procured from indigenous source?	Yes/No

### C. Details of the Project (along with supporting documents to be uploaded):

1	Details of Land acquired for the project	
	(a) Size of the plot (in acres)	
	(b) Location of the plot	Longitude
		Latitude
2	Environmental Clearance Certificate (to be uploaded)	No. and Date
3	In case loan has been sanctioned by Banks, sanctioned amount by Bank	₹(in words)
	(Rs. in crore)	
4	In case loan has been disbursed, amount of loan disbursed (Rs. in crore) &	₹ (in words) &
	Date of disbursement of loan	Date
5	Whether Bi-Partite agreement (BPA) has been signed with the Oil Marketing Companies (OMCs)?	Agreement No. and Date
	(a) Off-take Quantity of ethanol under BPA ( in KLPD)	
	(b) Proposed Date of commencement of supply of ethanol as per BPA	
6	Whether TPA has been signed among Organization/OMC/ Bank/Financial	
	Institutions (If yes, please upload copy of the same)	